संख्या- 336 /2024 / 2242 /चार-2024-734976

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 18 सितम्बर, 2024

विषय:- जनपद चित्रकूट स्थित रामलीला स्थल रामायण मेला परिसर के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1083/सं0नि0-6(52)/2023-24 दिनांक 02 अगस्त, 2024 के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 135 /2024 / 599/चार-2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 द्वारा जनपद चित्रकूट स्थित रामलीला स्थल रामायण मेला परिसर के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य कराये जाने हेतु रू0 148.17 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 9.84 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत रू0 146.83 लाख है।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद चित्रकूट स्थित रामलीला स्थल रामायण मेला परिसर के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य कराये जाने हेतु टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत रू0 146.83 लाख के सापेक्ष रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) शासनादेश संख्या- 135 /2024/599/चार-2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।
(3) संस्कृति निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था – कन्स्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।
(4) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(5) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्कृति निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(7) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय -41- सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण -24 वृहत् निर्माण कार्य'' मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या - 336 /2024 / 2242 (1) /चार-2024-1734976 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5- मुख्य महाप्रबंधक (प्रथम), सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6- परियोजना प्रबंधक, यूनिट-48, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), डा चूरामणि हॉस्पिटल के बगल में पी0सी0एफ0 आफिस के ऊपर, अलीगंज, बांदा।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।